

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(ओ 20 रूल 67 जाबा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

- 1.जितेन्द्रसिंह पुत्र वनेसिंह जाति दरोगा निवासी वाण तह0 शिवगंज
- 2.गदूसिंह पुत्र वनेसिंह जाति दरोगा निवासी वाण तह0 शिवगंज

प्रतिवादीगण

बनाम

- 1.सजीबाई पत्नी चेलाराम जाति कलबी चौधरी निवासी ओडा तह0 शिवगंज
- 2.मोहनसिंह पुत्र राधा जाति दरोगा
- 3.डूंगरसिंह पुत्र राधा जाति दरोगा
- 4.तेजसिंह पुत्र राधा जाति दरोगा
- 5.देशकुंवर पत्नी भरतसिंह पुत्री वनेसिंह निवासी हाल वाण
- 6.शैतानसिंह पुत्र वनेसिंह निवासी वाण
- 7.गोविन्दसिंह पुत्र वनेसिंह जाति दरोगा निवासी वाण
- 8.रिंकुंकुंवर पत्नी शैतानसिंह पुत्री वनेसिंह जाति दरोगा निवासी वाण
- 9.डिम्पलकुंवर पुत्री वनेसिंह जाति दरोगा निवासी वाण
- 10.किरण कुंवर पुत्री वनेसिंह जाति दरोगा निवासी वाण
- 11.भारतीय स्टेट बैंक शाखा पोसालिया
- 12.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज



विद्वान अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

प्रतिवादी सं0 1 ता 4

विद्वान अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राव

प्रतिवादी सं0 8

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं0 -41/2023

पत्रावली आज पेश हुई। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 15.5.2024 को प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की और से अधिवक्ता ने जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5,6,9,10,11 के सम्मन तामील होने के पश्चात भी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं0 7 का सम्मन तामील होकर प्राप्त होने के पश्चात भी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 26.06.2024 को की गई। दिनांक 28.08.2024 को प्रतिवादी सं0 8 की और से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राव ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 08.01.2025 को प्रतिवादी सं0 8 व 12 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर उनका जवाबदावा बंद किया गया। इसी दिन उभय वकील पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया, जिसे स्वीकार किया गया।

अतः वादग्रस्त आराजी मौजा वाण पटवार हल्का वाण के खसरा नं0 161 रकबा 2.4443 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना है।


अतः उक्त वादग्रस्त आराजी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के मददेनजर बाँय मिट्स एण्ड वाउण्ड्स अनुसार दर्ज हक हिस्सा भूमि का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) (ii) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के उप नियम 18 लगायत 21 अन्तर्गत विशेषकर नियम 20 के सैद्धान्तिक बिन्दुओं के तहत हक हिस्सा अनुसार विभाजन बटंवाड बाय मिट्स एंड बाँउण्ड्स तैयार किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगणों की उपस्थिति में डिक्री की पालना में उक्त भूमि का बटंवाड प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 05/02/2025 से पूर्व पेश करे।

आज मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के तारीख 08.01.2025 को जारी किया गया।

कमाक/कोर्ट/2025/13
प्रतिलिपी पालनार्थ:-
तहसीलदार शिवगंज।




राज्यक कलक्टर
(पश्चीमो) (शिवगंजी)
दिनांक 08.01.2025


सहायक कलक्टर
(पश्चीमो) (शिवगंजी)